राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड.,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141–2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2022/ 1972-77 दिनांकः– 1-6-2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सलेन्टस) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 1666 दिनांक 09.05.2022 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष दिनांक 30 मई 2022 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित आवेदकों में से श्री राधेप्रताप सिंह, सेवानिवृत आर.ए.एस. का चयन किया जाकर परिशिष्ठ–II में अंकित शर्त्तों पर दिनांक 31.03.2023 तक सलाहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो भविष्य में आपसी सहमति से बढायी जा सकती है। परिशिष्ठ–II के बिन्दु संख्या 5 (सी) के अनुसार कन्सलटेन्ट की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई (non official) प्रकृति की है तथा संतोषजनक सेवा के अभाव में सलाहकार की नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण दर्शाए निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त सलाहकार आयोग कार्यालय में दिनांक 01 जून 2022 से उपस्थिति देगें व सेवा शर्त्तों के संबंध में रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेगें।

Sd/-

(प्रियंका गोस्वामी)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर।
2. निजी सचिव, सूचना आयुक्त–चतुर्थ
3. श्री राधेप्रताप सिंह, सलाहकार
4. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम।
6. रक्षित पत्रावली

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर